श की कम ख्या और रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं. 01/2015	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

उदय कुमार सिंह, पिता–स्व0 मस्ताना सिंह, ग्राम–डुमरी बुजुर्ग, थाना–नया गाँव, जिला–सारण

आदेश

/1/2015

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 376/गो0 20.1.15 के द्वारा आवेदक उदय कुमार सिंह, पिता–स्व. मस्ताना सिंह, ग्राम–डुमरी बुजुर्ग, थाना–नया गाँव, जिला–सारण का रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जॉच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति मे सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि ये सी.आर.पी.एफ0 में सिपाही के पद पर कार्य करते थे। इनके द्वारा स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया गया। ये वर्त्तमान में डुमरी बुजुर्ग पंचायत समिति के सदस्य हैं। सामाजिक कार्यो एवं सरकार के विकास कार्यो में रूचि रखने की वजह से इनके उपर बराबर असामाजिक तत्वों से इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, नया गॉव के ज्ञापांक डी.आर. 45 दिनांक 16.1.15, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 118 दिनांक 16.1.15, अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1787 दिनांक 22.12.14 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1449 दिनांक 26.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 376/गो0 दिनांक 20.1.15 के साथ

संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक बर्त्तमान में डुमरी बुजुर्ग पंचायत समिति के सदस्य है। सामाजिक कार्यो एवं सरकार के विकास कार्यो में रूचि रखने की वजह से इनके उपर बराबर असामाजिक तत्वों से इनके जानमाल पर खतरे की आशंका बनी रहती है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, नया गॉव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक उदय कुमार सिंह, पिता–स्व. मस्ताना सिंह, ग्राम–डुमरी बुजुर्ग, थाना–नया गॉव, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 66 दिनांक 29/1/15

प्रतिलिपि – S.P. सारण / जिला शस्त्र पदाधिकारी, सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर प्रेषित / DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर प्रदर्शित करने upload करने हेतु प्रेषित

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।